

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट रसगण)

पीठासीन अधिकारी : श्री संजय शर्मा आरएएस
नुकदमा नं० 1/53 /12

निर्णय दिनांक : 02.06.2016

उनवान

1. दीपक नाबालिग पुत्र स्व० शेरसिंह जाति राजपूत उम्र करीब 4 साल जयें सरपरस्त माता रेशमा पत्नी स्व० श्री शेरसिंह राजपूत काश्तकार ग्राम सेकमबास तहसील रामगढ़ हाल निवासी ग्राम मसीत तहसील तिजारा जिला अलवर।

.....वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जयें जिलाधीश महोदय, अलवर
2. राजस्थान सरकार जयें लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार रामगढ़।

.....प्रतिवादीगण

(अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र धारा 88, 89 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 34 रकबा 0.11, 1076 रकबा 0.42, 1078 रकबा 0.37, 1079 रकबा 0.06, 1084 रकबा 0.40, 1087 रकबा 0.12, 1088 रकबा 0.02, 1115 रकबा 0.21, 1129 रकबा 0.77, 1142 रकबा 0.22, 1143 रकबा 0.09, 6 रकबा 0.18 किता 12 रकबा 2.97 हैक्ट० वाके ग्राम सेकमबास तहसील रामगढ़ जिला अलवर में वादी के 1/7 हिस्से पर वादी का नाम दीपक पुत्र शेरसिंह अंकित किया हुआ है उसे वादी के हकूको के खिलाफ बातिल, बेअसर व नाकाबिल पाबन्दी करार दिया जावे व उसके स्थान पर वादी को नाबालिग दर्ज कराया जाकर अर्थात दीपक नाबालिग पुत्र शेरसिंह जयें सरप्रस्त माता मु० रेशमा पत्नी शेर सिंह दर्ज कराया जावे। और समस्त कागजातमाल में दुरुस्ती करायी जावे।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत रसगण में दिनांक 02.06.2016 को पेश हुई। पैरोकार सरकार ने लोक अदालत में जवाब प्रस्तुत किया कि मुताबिक वादी दीपक को नाबालिग सरप्रस्त माता रेशमा पत्नी शेरसिंह दर्ज किया जाना उचित है।

पत्रावली का राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत रसगण में अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं पैरोकार सरकार के जवाब के मुताबिक वादी दीपक को नाबालिग सरप्रस्त माता रेशमा पत्नी शेरसिंह दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

वादीगण का वाद संलग्न दस्तावेजात एवं पैरोकार सरकार के जवाब के आधार पर स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रामगढ़ को आदेशित किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 34 रकबा 0.11, 1076 रकबा 0.42, 1078 रकबा 0.37, 1079 रकबा 0.06, 1084 रकबा 0.40, 1087 रकबा 0.12, 1088 रकबा 0.02, 1115 रकबा 0.21, 1129 रकबा 0.77, 1142 रकबा 0.22, 1143 रकबा 0.09, 6 रकबा 0.18 किता 12 रकबा 2.97 हैक्ट० वाके ग्राम सेकमबास तहसील रामगढ़ जिला अलवर में वादी के 1/7 हिस्से पर वादी का नाम दीपक पुत्र शेरसिंह अंकित किया हुआ है उसके स्थान पर दीपक नाबालिग पुत्र शेरसिंह जयें सरप्रस्त माता मु० रेशमा पत्नी शेर सिंह दर्ज कर ताहाल राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती की जावे। इसी प्रकार पर्चा डिक्री बनायी जावे। पत्रावली फौमल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर लोक अदालत ग्राम पंचायत रसगण में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट रसगण)
पीठासीन अधिकारी : श्री संजय शर्मा आरएएस
मुकदमा नं० 1/53 /12

निर्णय दिनांक : 02.06.2016

उनवान

1. दीपक नाबालिग पुत्र स्व० शेरसिंह जाति राजपूत उम्र करीब 4 साल जर्जे सरपरस्त माता रेशमा पत्नी स्व० श्री शेरसिंह राजपूत काश्तकार ग्राम सेकमबास तहसील रामगढ़ हाल निवासी ग्राम मसीत तहसील तिजारा जिला अलवर।

बनाम

.....वादीगण

1. राजस्थान सरकार जर्जे जिलाधीश महोदय, अलवर
2. राजस्थान सरकार जर्जे लैण्ड होल्डर श्रीमान तहसीलदार रामगढ़।

.....प्रतिवादीगण
(अन्तर्गत धारा 88, 89 आरटीएक्ट)

पर्चा डिक्री

वादीगण का वाद संलग्न दस्तावेजात एवं पैरोकार सरकार के जवाब के आधार पर स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रामगढ़ को आदेशित किया जाता है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 34 रकबा 0.11, 1076 रकबा 0.42, 1078 रकबा 0.37, 1079 रकबा 0.06, 1084 रकबा 0.40, 1087 रकबा 0.12, 1088 रकबा 0.02, 1115 रकबा 0.21, 1129 रकबा 0.77, 1142 रकबा 0.22, 1143 रकबा 0.09, 6 रकबा 0.18 किता 12 रकबा 2.97 हैक्ट० वाके ग्राम सेकमबास तहसील रामगढ़ जिला अलवर में वादी के 1/7 हिस्से पर वादी का नाम दीपक पुत्र शेरसिंह अंकित किया हुआ है उसके स्थान पर दीपक नाबालिग पुत्र शेरसिंह जर्जे सरपरस्त माता मु० रेशमा पत्नी शेर सिंह दर्ज कर ताहाल राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती की जावे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 02.06.2016 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)